

नामिनल रोल का क्रमांक
(अग्रेषण अधिकारी द्वारा प्रविष्ट किया जावे)
फार्म भरने से पहले पृष्ठ भाग पर
लिखित निर्देश अवश्य पढ़ लें

द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ अवसर



सामान्य शुल्क सहित अंतिम तिथि:
विलम्ब शुल्क 250/- सहित अंतिम तिथि:
विलम्ब शुल्क 500/- सहित अंतिम तिथि:

छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड, रायपुर

چھتیس گڑھ مدرسہ بورڈ، رائے پور

हाई स्कूल पत्राचार पाठ्यक्रम परीक्षा वर्ष 20.....

(केवल पत्राचार पाठ्यक्रम में पंजीकृत होकर अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित परीक्षार्थियों हेतु)
(आवेदन-पत्र परीक्षार्थियों द्वारा स्वयं भरा जावे)

परीक्षार्थी इस स्थान पर पासपोर्ट साईज़ का वर्तमान फोटो लगाएँ तथा इस पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर उपरांत अग्रेषण अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर पदमुद्रा लगायें

अनुक्रमांक

नामांकन क्रमांक

परीक्षा केन्द्र का नाम एवं क्रमांक

1. शुल्क विवरण रु.

शब्दों में

2. परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में)

(अंग्रेजी के केपिटल अक्षरों में)

3. पिता/पति का नाम (हिन्दी में)

(अंग्रेजी के केपिटल अक्षरों में)

4. माता का नाम (हिन्दी में)

(अंग्रेजी के केपिटल अक्षरों में)

5. जाति (1.अनुसूचित जाति 2.अनुसूचित जनजाति 3.अन्य पिछड़ा वर्ग 4. सामान्य) जो लागू हो उसे टिक (✓) मार्क करें।

6. पात्रता की पुष्टि हेतु प्रथम अवसर/द्वितीय अवसर/तृतीय अवसर परीक्षा की अंकसूची की मूल प्रति संलग्न करें।

7. निम्न जानकारी सही-सही अनिवार्यतः अंकित की जावे:-

8.

वर्ष 20..... की मुख्य परीक्षा-प्रथम अवसर/द्वितीय अवसर/तृतीय अवसर परीक्षा के परीक्षा परिणाम की जानकारी			
अ. मुख्य परीक्षा प्रथम अवसर परीक्षा	रोल न.	केन्द्र क्रमांक	उत्तीर्ण विषय
वर्ष 20.....			
ब. द्वितीय अवसर परीक्षा			
वर्ष 20.....			
स. तृतीय अवसर परीक्षा			
वर्ष 20.....			

वर्ष 20.....के शेष अनुत्तीर्ण विषयों के नाम जिनमें द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ अवसर परीक्षा में सम्मिलित होना है:-				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

9.परीक्षा का माध्यम:-उर्दू 1, हिन्दी 2 ☐

10.वर्तमान पता:-

ग्राम- डाकघर- तहसील- जिला-

पिनकोड मोबाइल न.

घोषणा

11. मैं..... एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है तथा इसमें किसी बात को छुपाया नहीं गया है। मुझे इसकी जानकारी है कि कोई भी जानकारी गलत होने पर मेरा आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है तथा मेरा शुल्क ज़ब्त किया जा सकता है। मैंने समस्त नियमों का अध्ययन कर लिया है एवं मैंने विषयों का चयन पाठ्यक्रमानुसार किया है तथा मैं उन्हें मान्य करता हूँ/करती हूँ एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रपत्रों का सत्यता संबंधी उत्तरदायित्व मेरा है।

प्रमाणीकरण

12. प्रमाणित किया जाता है कि परीक्षार्थी के संबंध में ऊपर दी गई सभी जानकारी प्रस्तुत अभिलेखानुसार है। अधोहस्ताक्षरकर्ता इस तथ्य से अवगत है कि जानकारी गलत पाये जाने पर परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित किये जा सकेंगे। परीक्षार्थी ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

प्राचार्य/अग्रेषणकर्ता के हस्ताक्षर.....
संस्था की मोहर लगाई जावे(संस्था क्रमांक सहित)

परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

स.क्र.	विषय	दिनांक	प्रश्नपत्र कोड	उत्तर पुस्तिका का क्रमांक		परीक्षार्थी के हस्ताक्षर	पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
				मुख्य उ.पु.	पूरक उ.पु.		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

नोट:—प्रतिदिन उपरोक्त प्रविष्टियों की पूर्ति परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटे के अन्दर पूर्ण कराया जाना है। परीक्षार्थी द्वारा यदि पूरक उत्तर पुस्तिका ली जाती है तो सरल क्रमांक की भी प्रविष्टि की जावे।

केन्द्राध्यक्ष का प्रमाणीकरण:— प्रमाणित किया जाता है कि परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन-पत्र में अंकित विषयों के अनुसार उसे परीक्षा में सम्मिलित किया गया है, इन्होंने परीक्षा भवन में उक्त निर्धारित कॉलम में मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं, जिसका इस फार्म में पूर्व में किये गये हस्ताक्षर से तथा परीक्षार्थी के फोटो से मिलान मेरे द्वारा कर लिया गया है। प्रमाणीकरण की पुष्टि में संबंधित पर्यवेक्षकों के हस्ताक्षर भी ऊपर हैं।

केन्द्र क्रमांक की मुद्रा	
---------------------------	--

केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

निर्देश:— 1. विवाहित महिला कॉलम 4 में पति का नाम दें। 2. प्राचार्य/अग्रेषणकर्ता अधिकारी के प्रमाणीकरण के बिना आवेदन-पत्र मान्य नहीं किया जावेगा। प्राचार्य के प्रमाणीकरण का अर्थ है कि वह प्रविष्टियों को सत्यापित करते हैं। उनका प्रति हस्ताक्षर इस बात का द्योतक है कि उन्होंने देख लिया है कि सभी कॉलम भरे गए हैं। जानकारी सही न होने की जिम्मेदारी परीक्षार्थी की अपनी है। 3. शुल्क छूट की पात्रता आती है तो तद्विषयक प्रमाण-पत्र संलग्न करें। 4. पात्रतानुसार विषयों का उल्लेख यथा स्थान पर किया जावे। 5. कोड की प्रविष्टियों की पूर्ति दी गई कोड लिस्ट के आधार पर प्राचार्य द्वारा किया जाना है। 6. अनावश्यक प्रविष्टियों को (x) से एवं सही प्रविष्टियों को (✓) से चिह्नित करें। 7. एक वर्तमान की पासपोर्ट साईज फोटो आवेदन-पत्र में चस्पा किया जाना है। 8. सभी कॉलम भरा जाना अनिवार्य है। कॉलम रिक्त होने पर आवेदन-पत्र अस्वीकार हो सकता है। 9. नाम तथा पिता/पति के नाम के आगे श्री/कुमारी/श्रीमती (Shri/Ku./Smt.) न लिखें।

जमा शुल्क का विवरण:—परीक्षा शुल्क एक विषय रु. 50=00, दो विषय रु. 100=00, दो से अधिक विषय रु. 200=00 अंकसूची शुल्क रु. 50=00, प्रायोगिक शुल्क रु. 50=00 प्रति विषय, अग्रेषण शुल्क 50=00 रु. निर्धारित है। विलंब शुल्क रु. 250=00 सामान्य तिथि के पश्चात् दिनांक तथा 500=00 रु. दिनांक के पश्चात् दिनांक तक आवेदन-पत्र भरने पर।

जमा शुल्क का विवरण:—

परीक्षा शुल्क	अंकसूची शुल्क	प्रायोगिक शुल्क	विलंब शुल्क	अग्रेषण शुल्क	योग

कार्यालयीन उपयोग हेतु:—

प्राप्त शुल्क रु. कमी रु. शुल्क अन्य बिन्दु एवं पात्रता की जांच की गई

त्रुटि :

परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र/अपात्र पाया गया है।

त्रुटि पत्र क्रमांक दिनांक भेजा गया।

हस्ताक्षर
जांचकर्ता कर्मचारी

हस्ताक्षर
कक्ष अधिकारी

हस्ताक्षर
रजिस्ट्रार

आवेदन-पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश:—

- सभी प्रविष्टियाँ काले अथवा नीले डाट पेन से करें।
- परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम तथा माता का नाम अंग्रेजी केपिटल अक्षरों में भरा जावे।
- परीक्षा आवेदन-पत्र की पूर्ति सावधानीपूर्वक की जाना है। परीक्षा आवेदन-पत्र में वर्ष 20..... की प्रथम अवसर, द्वितीय अवसर एवं तृतीय अवसर परीक्षा के परिणाम की स्पष्ट जानकारी, उत्तीर्ण विषयों सहित दी जाना है तथा शेष अनुत्तीर्ण विषयों के नाम जिसमें तृतीय अवसर की परीक्षा में सम्मिलित होना है, अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना है।
- पात्रता की पुष्टि हेतु अनुत्तीर्ण की मूल अंकसूची संलग्न करें।
- सभी कॉलम की पूर्ति करना अनिवार्य है। कॉलम रिक्त होने पर आवेदन-पत्र अस्वीकार हो सकता है।
- आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर अथवा निर्धारित शुल्क जमा न होने पर अथवा प्रमाण-पत्र की वांछित मूल/सत्य प्रतिलिपि न भेजने पर तथा विषयों में भिन्नता होने पर बिना किसी पत्र व्यवहार के प्रवेश आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार रायपुर छत्तीसगढ़ रहेगा।